न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30/2006

1 बुद्धराम सिंह पुत्र स्व. हनुमान
2 हरिसिंह पुत्र स्व. हनुमान जाति दारोगा निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र हजारी जाति दारोगा निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 बिरजू पुत्र मघाराम जाति दारोगा निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
3 केसर देवी पत्नी स्व. गिरधारी
4 अमीलाल पुत्र स्व. गिरधारी
5 रामस्वरूप पुत्र स्व. गिरधारी समस्त जातियान जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
6 सब रजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

प्रथम नियमित अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री
दिनांक 10.04.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू बमुकदमें उनवानी बुद्धरामसिंह
आदि बनाम मालीराम वगैरह मु.नं. 215/1999

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 215/1999 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस व उनकी माता पूर्णी देवी ने एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 6 तथा रेस्पोडेन्ट नं. 3 के पति व रेस्पोडेन्ट नं. 4 व 5 के पिता एवं गिरधारी के विरूद्व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ में दायर किया। अपीलान्टस की माता पूर्णी देवी का देहान्त हो चुका है। इसके अलावा दावे के प्रतिवादी नं. 3 गिरधारी का देहान्त हो गया है। जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट 3 लगायत 5 को अपील में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा न तो जबाब दावा पेश किया गया, न ही कोई शहादत पेश की गई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 दावे के प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने जबाब दावा पेश किया पेश किया परन्तु उसके बाद न तो वे स्वयं हाजिर आये, न ही उनके अभिभाषक हाजिर आये इसलिए उनके विरूद्व कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। अपीलान्टस वादीगण ने अपनी साक्ष्य में स्वयं वादी नं. 1 बुद्धराम पीडब्लू—1, पीडब्लू—2 जवाहर सिंह, पीडब्लू—3 मनोहर सिंह के बयान करवाये। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 2.54 हैक्टेयर में प्रतिवादी नम्बर 1 मालीराम का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादग्रस्त हिस्सा 0.72 हैक्टेयर बनता था जो प्रतिवादी नंबर 1 मालीराम द्वारा दावा दायरी के 20 वर्ष पूर्व वादी नम्बर 1 बुद्धराम को आठ हजार रूपये नकद लेकर अपनी जायज घरेलू आवश्यकताओं के लिए विक्रय करदी व कब्जा उक्त 0.72 हैक्टेयर भूमि पर वादी नम्बर 1 का करवा दिया था। अपीलान्ट नम्बर 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त विक्रय के वक्त प्रतिवादी नम्बर 1 मालीराम ने अपीलान्ट नम्बर 1 से कहा था कि जब भी वादी नम्बर 1 कहेगा वह उसके हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा देगा किन्तु बाद में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की नियत में फर्क आ गया और खातेदारी में नाम होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादी अपीलान्ट नम्बर 1 के हक में विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करवाकर प्रतिवादी नम्बर 2 को हस्तान्तरण कर वादग्रस्ती भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई हक नहीं है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा उक्त विक्रय की बाबत वादी अपीलान्ट नम्बर 1 के हक में लिखावट कर उस पर अपनी अंगूठा निशानी की थी। अपीलान्ट ने उक्त लिखावट को साक्ष्य में भी प्रदर्शित करवाया है। वादी अपीलान्ट नम्बर 1 गत 26 वर्षों से उक्त 0.72 हैक्टेयर भूमि का लगान अपीलान्ट नम्बर 1 अदा करता आ रहा है तथा उक्त भूमि अपीलान्ट नम्बर 1 के कब्जे काश्त की है। अतः अपीलान्टस डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह खसरा नम्बर 283 रकबा 2.54 हैक्टेयर में अपने हिस्से की 0.72 हैक्टेयर भूमि जिसे वह दावा दायरी से 20 वर्ष पूर्व अपीलान्ट नम्बर 1 को विक्रय कर चुका था तथा जिस पर अपीलान्ट नम्बर 1 दावा दायरी से 20 वर्षों पूर्व से शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 या अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, रहन, मुन्तकिल न करें तथा अपीलान्ट नम्बर 1 के उक्त 0.72 हैक्टेयर भूमि पर कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखअन्दाजी करे न अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से दखलअन्दाज करावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। अपीलांट ने विवादित भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विधी अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा ही लाया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकी वाद विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर